

20/11/24

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपर।
बदल अधिवक्ता प्रार्थी चुनी गई।
रिपोर्ट TOR प्राप्त हो चुकी है।
अधिवक्ता प्रार्थी ने स्वयं रिपोर्टि

4

हुकम या कार्यवाही मय इनिशिबल्स जज

रिपोर्ट TDR के आधार पर प्राचीन पत्र
स्वीकार किया जावे। धारा 136 LR Act

का अवलोकन किया गया। LR Act

136 के अन्तर्गत केवल लिपिकीय सुविधा

सही लिपिकीय की जा सकती है। वरक ठा इन्दी -

मूल ले धारकी के खातेदारी अधिकार

सुविधा होगे इस दशा में 136 LR

Act में किसी प्रकार का रिजिस्ट्रेशन प्रदान

किया जाना संभव नहीं होने से प्राचीन

पत्र खारिज किया जाता है। ~~क~~ निषेध

पर इफ्तलाल पत्र पुनाया गया पत्रावली

इफ्तल बुकाल दाल नम्बर ले फरद है

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज0)